रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 1994/ज्येष्ठ 3, 1916

No. 259] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 1994/JYAISTHA 3, 1916

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 1994

का.आ 391(अ) :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 245 यख के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देते हैं कि संविधान के भाग-9 क के उपबंध जहां तक इनका संबंध नई दिल्ली नगर परिषद् अध्यादेश, 1994 के अधीन गठित की जाने वाली नई दिल्ली नगर परिषद से है निम्नलिखित अपवादों और आशोधनों के अध्यधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली पर लागू होंगे, अर्थात् :—

1. अनुच्छेद 243 द के लिये निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :—

"243द नई दिल्ली नगर परिषद निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित दस सदस्य जिनमें से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के तीन सदस्य वे होंगे जो नई दिल्ली नगर परिषद् के अन्तर्गत पूर्ण या आंशिक रूप से आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष ; और,

(ग) नई दिल्ली क्षेत्र में पूर्ण या आंशिक रूप से आने वाले निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य जो इस परिषद् की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होगा लेकिन उसे वोट का अधिकार नहीं होगा।"

2. अनुच्छेद 243न के लिये निम्नलिखित अनुच्छेद; प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"243न इससे पूर्व यथा आशोधित अनुच्छेद 243द में संदर्भित 11 सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्य महिलाएं होंगी—एक सदस्य अनुसूचित जाति का होगा।"

3. अनुच्छेद 243प में—

(1) खण्ड (3) के लिये निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(3) नई दिल्ली नगर परिषद्—

(क) जहां यह खण्ड (1) के अधीन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग कर दी जाती है वहां

इसे इस प्रकार के विघटन से छः माह की अवधि के भीतर पुनर्गठित किया जायेगा; और

(ख) जहां यह अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भंग की जाती है वहां इसे कार्यकाल समाप्ति से पहले पुनर्गठित किया जायेगा।"

(2) खण्ड (4) का लोप किया जायेगा।

4. अनुच्छेद 243फ के लिये निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"243फ। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के किसी सदस्य के अलावा नई दिल्ली परिषद् के सदस्य के रूप में नामित किये जाने के लिये इस आधार पर कि वह लाभ के पद पर हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव के प्रयोजनार्थ फिलहाल लागू किसी भी कानून के अन्तर्गत अयोग्य नहीं होगा।"

[फा.सं. यू-11013/5/93-यू.टी.एल.]

आर. के. अहूजा, विशेष सचिव।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 1994

S.O. 391(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 243ZB of the Constitution, the President hereby directs that the provisions of Part IXA of the Constitution shall apply to the National Capital Territory of Delhi in so far it relates to the New Delhi Municipal Council to be constituted under the New Delhi Municipal Council Ordinance, 1994, subject to the following exceptions and modifications, namely :—

1. For article 243R, the following article shall be substituted, namely :—

"243R. The New Delhi Municipal Council shall consist of,—

(a) ten members nominated by the Central Government of whom three shall be members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi representing constituencies which comprise wholly or partly the area consisting of the New Delhi Municipal Council;

(b) a Chairperson apponited by the Central Government; and

(c) the Member of Parliament, representing the constituency which comprises wholly or partly the New Delhi area, who shall be a special invitee for the meetings of the Council but without a right to vote."

2. For Article 243T, the following Article shall be substituted, namely :—

"243T. Out of the eleven members referred to in Article 243R, as modified hereinbefore, atleast three members shall be women and one member shall be from the Scheduled Castes."

3. In Article 243U,—

(i) for clause (3), the following clause shall be substituted, namely :—

"(3) The New Delhi Municipal Council,—

(a) where it is dissolved before the expiry of its duration under clause (1), shall be reconstituted within a period of six months of such dissolution; and

(b) where it is dissolved after the expiry of its duration, shall be reconstituted before such expiry.".

(ii) clause (4) shall be omitted.

4. For Article 243V, the following Article shall be substituted, namely :—

"243V. No person, other than a Member of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, shall be disqualified for being nominated as a member of the New Delhi Municipal Council on the ground that he holds an office of profit for purposes of elections to the Legislature of the National Capital Territory of Delhi under any law for the time being in force."

[F. No. U. 11013/5/93-UTL]

R. K. AHOOJA, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994